<u>भारत में वर्ष 2000 में सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार) उपग्रह संचार-व्यवस्था हेतु मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा नीति के कार्यढाँचे के कार्यान्वयन की क्रियाविधि</u>

अनुच्छेद-1: भारतीय पक्षों को, भारतीय उपग्रहों से, टी.वी. सिग्नलों की अपलिंकिंग सेवा के साथ अन्य सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति के संबंध में मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि।

भारत सरकार ने तय किया है कि उपग्रह संचार-व्यवस्था नीति को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि, भारतीय क्षेत्रों से संचालन के दौरान भारतीय तथा विदेशी दोनों उपग्रहों के प्रस्तावों में से भारतीय उपग्रहों के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत किया जाए। भारतीय क्षेत्रों से उपग्रहों के संचालन हेतु मानदण्ड संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उपरोक्त निदेशों के अनुसार तथा इस उपग्रह संचार-व्यवस्था के मानदण्डों, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि के अनुच्छेद-2, 3 एवं 4 के भी अनुसार प्रतिपादित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रसारण के मामले में (टी.वी. और ध्वनि) सभी शर्तें प्रसारण बिल के अनुसार होगी जो कि संसद में स्वीकृत होगा। इसी प्रकार जी.एम.पी.सी.एस. के संबंध में, संचालन लाइसेंस की शर्तें वही होंगी जो दूरसंचार विभाग द्वारा मार्गदर्शित जी.एम.पी.सी.एस. नीति में निर्धारित की जाएंगी। तथापि, भारतीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना तथा संचालन हेतु इस उपग्रह संचार-व्यवस्था के मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि ही लागू होगी।

अनुच्छेद-2: गैर-सरकारी पक्षों द्वारा इन्सैट की क्षमताओं के उपयोग के संबंध में मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि।

2.1 सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुसार भारत के लिए उपग्रह संचार-व्यवस्था नीति का कार्यढ़ाँचा होगा:

(i) **"गैर-सरकारी (भारतीय और विदेशी) पक्षों को कुछ पूर्वनिर्धारित मानदण्डों का अनुसरण करते हुए इन्सैट की क्षमताओं का प्राधिकार पट्टे पर देना"**

(ii) **"भारतीय पक्षों को कुछ शर्तों तथा अनुबंधों, जिन्हें आगे उल्लिखित किया जाएगा के आधार पर भारतीय उपग्रहों से टी.वी. अपलिंकिंग के साथ अन्य सेवाएँ प्रदान करनें की अनुमति देना;"**

2.2 मानदण्डों के कारक

इन्सैट एक बहु-एजेंसी, बहु-उद्देशी उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, प्रसारण और मौसम विज्ञानीय सेवाएँ प्रदान करती है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। इस प्रणाली में उपग्रह अंतरिक्ष विभाग द्वारा या तो बनाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। यह अपनी क्षमता वृद्धि हेतु अन्य उपग्रह प्रणालियों के प्रेषानुकरों को पट्टे पर भी ले सकता है। भू प्रणाली की स्थापना तथा संचालन संबंधित विभाग/ मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इन्सैट कार्यक्रम का

प्रबंधन तकनीकी सलाहकार समूह (टी.ए.जी.) के तकनीकी सहयोग से इन्सैट सहयोगी समिति (आई.सी.सी.) के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इन्सैट संचार-व्यवस्था क्षमताओं का उपयोग करने वाले प्रमुख उपयोक्ता दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), दूरदर्शन (डी.डी.) तथा आकाशवाणी (ए.आई.आर.) हैं। अन्य मुख्य उपयोक्ता राष्ट्रीय सूचना केंद्र, रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियाँ, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, शैक्षणिक क्षेत्र तथा वी.एस.ए.टी. प्रचालन हैं। इसलिए गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा इन्सैट का उपयोग पूरी तरह से नई अवधारणा नहीं है तथा कई व्यवस्थाएँ एवं क्रियाविधियाँ विद्यमान हैं। तथापि, नए विकासों या पूर्वानुमानित विकासों जिससे बाद में गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा इन्सैट का उयोग करने के लिए विशेष मानदण्डों की आवश्यकता होगी, वे हैं:

(क) प्रसार भारती का गठन तथा डी.ओ.टी. के प्रचालन हेतु एक सन्निकट कार्पोरेट संरचना का गठन

(ख) योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के आग्रह पर इन्सैट प्रणाली हेतु एक संग्रह निधि बनाना तथा मंत्रिमंडल द्वारा इसका पृष्ठांकन करना

(ग) प्रसारण तथा दूरसंचार दोनों में निजी संस्थानों के प्रवेश एवं इन संस्थानों की उपग्रह संचार-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार जरूरत पर ध्यान दे

(घ) भारतीय संचालन प्रणालियों द्वारा भारत के संचार अवस्थापना को दीर्घ काल के लिए संचालित करना

(ड.) निजी संचालनों तथा थोक पट्टे हेतु इन्सैट प्रणाली में क्षमताओं को समाविष्ट करने हेतु कदम उठाना

(च) विभिन्न निजी वैश्विक उपग्रह संचार प्रणालियों की स्थापना तथा इनटेलसैट एवं इनमारसैट का निजीकरण

(छ) भारत द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. फोरम में की गई प्रतिबद्धताएं, इत्यादि।

2.3 आधरभूत दिशानिर्देश

2.3.1 वाणिज्यिक संस्थानों हेतु इन्सैट की क्षमताओं को उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ व्यापारिक रूपरेखा पर आधारशिला बनाना, उदाहरण के लिए.., यह गतिविधि "लाभ हेतु" आधार पर होनी चाहिए तथा साथ ही उससे संबंधित प्रयोक्ता क्षेत्र में सरकारी नीतियों का भी पालन होना चाहिए।

2.3.2 भारत में उपग्रह संचार-व्यवस्था हेतु नीति कार्यढ़ाँचे को ध्यान में रखते हुए, इन्सैट प्रणाली से संबंधित सभी नीतियाँ, इन्सैट समन्वयन समिति (आई.सी.सी.) द्वारा निर्धारित की जाएगी।

2.4 उपयोगों का वर्गीकरण

2.4.1 प्रयोक्ता क्षेत्रों को मुख्यरूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) दूरसंचार

(ख) प्रसारण

(ग) शिक्षा तथा विकास हेतु संचार

(घ) रक्षा मंत्रालय/ सेवाओं हेतु सुरक्षा संचार

2.4.2 शिक्षा को अलग से दर्शाया गया है क्योंकि भविष्य में इस क्षेत्र का उपयोग विचारणीय है। सुरक्षा संचार भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसकी मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है। इन दोनों ही मामलों में वाणिज्यिक संचार लागू नहीं होगा तो, बाकी लाइसेंस प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। इन क्षेत्रों के लिए इन्सैट प्रणाली हेतु वित्त की व्यवस्था करना अलग भी हो सकता है।

2.5 क्षमता का निर्धारण

2.5.1 जहाँ तक दूरसंचार तथा आकाशवाणी विभाग द्वारा इन्सैट उपग्रहों की पहले से मौजूद तथा योजित क्षमताओं के सीधे उपयोग का संबंध है, विद्यमान प्रक्रिया ही जारी रहेंगी। योजित क्षमता अर्थात् इन संस्थानों द्वारा दीर्घ काल हेतु निर्धारित क्षमताओं का परियोजन है तथा एक विशेष उपग्रह अथवा श्रेणीबद्ध उपग्रहों की अवसंरचना में शामिल की गई हो।

2.5.2 प्रसारण सहित विभिन्न दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाले कानून के तहत अधिकृत गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने हेतु क्षमता का कम-से-कम कुछ प्रतिशत आई.सी.सी. निर्धारित करेगा।

2.5.3 अन्य प्रयोक्ताओं के संबंध में आई.सी.सी. बाज़ार उपग्रह संचार-व्यवस्था में प्रचलन तथा उपलब्ध क्षमताओं के आधार पर समय-समय पर क्रियाविधि निर्धारित कर सकती है।

2.5.4 जहां तक, इन्सैट की क्षमताओं का उपयोग करते हुए, भारत में, प्रसारण सेवाएँ उपलब्ध कराने की बात है, इसे, अधिनियमित होने वाले, प्रसारण बिल के प्रबन्धनों के अनुसार ही होगी।

2.5.5 जहां तक, इन्सैट की क्षमताओं का उपयोग करते हुए, भारत में, दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने की बात है, यह पहले से उपलब्ध अधिनियमों/व्यवस्थाओं के आधार पर होगा। आवश्यकता पड़ने पर, आई.सी.सी किसी भी समय इन व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन कर सकती है।

2.5.6 किसी निश्चित क्षेत्र (भारत में या किसी अन्य देश में) में सेवाएँ प्रदान करने हेतु आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी उस पक्ष की होगी जिसने क्षमताओं को पट्टे पर लिया है।

2.5.7 इन्सैट का प्रचालन तथा भारत में सेवाएँ प्रदान करना पक्ष द्वारा संबंधित प्राधिकारी से आवश्यक प्रचालन तथा आवृत्ति/ सैटिंग लाइसेंस के अनुसार होगा।

2.5.8 जहां तक (क) शिक्षा तथा विकास संचार और (ब) रक्षा मंत्रालय/ सेवाओं हेतु सुरक्षा संचार का संबंध है, आइ.सी.सी. द्वारा निर्धारित प्रेषानुकर आबंटन की पहले से उपलब्ध पद्धति ही जारी रहेगी।

2.6 वाणिज्यिक तथा अनुबन्धीय कारक

2.6.1 इन्सैट अंतरिक्ष-खण्ड की सभी वाणिज्यिक प्रक्रियाएँ अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट द्वारा पूर्ण की जाएंगी। अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट अर्थात् वह संस्थान जिसे अंतरिक्ष विभाग ने इस उद्देश्य हेतु गठित किया है अथवा इन्सैट प्रणाली के संचालन हेतु बनाई जाने वाली कोई कार्पोरेट संरचना यानि जब भी इस प्रकार के संस्थान का गठन किया जाएगा।

2.6.2 यदि आई.सी.सी. एक बार गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं के लिए कोई क्षमता निर्धारित करता है तो अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट दूरसंचार सेवा के अलावा इस क्षमता को उस गैर-सरकारी प्रयोक्ता को अपनी क्रियाविधि का पालन करते हुए सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत हो जाएगा। इस क्षमता के विपणन हेतु यह अन्य ऐजेंसियों के साथ द्विपक्षीय करार भी कर सकता है। यदि माँग उपलब्ध क्षमता से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट किसी उपयुक्त पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाकर क्षमताओं का निर्धारण कर सकता है। यह प्रक्रिया नीलामी, सद्भावपूर्वक विनिमय, पहले आओ पहले पाओ या किसी अन्य समतुल्य पद्धति के रूप में की जा सकती है। जहाँ तक दूरसंचार का संबंध है, इसमें भारतीय प्रयोक्ताओं हेतु प्रदान की जाने वाली इन्सैट क्षमता का किसी भी प्रकार का उपयोग पहले से उपलब्ध अधिनियमों/व्यवस्थाओं के आधार पर होगा। आई.सी.सी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय इन व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन कर सकती है।

2.6.3 भारत अथवा विदेश में प्रचालन हेतु विदेशी पक्षों को भी इन्सैट क्षमता उपलब्ध कराई जा सकती है।

2.6.4 जब भारत के बाहर इन्सैट क्षमता प्रचालन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, तो अनुबंध में इस बात की भी पुष्टि कर लेनी चाहिए कि प्रचालन संयुक्त राष्ट्र/ ई.टी.यू. संविधान, परम्परा, संधियों, करारों एवं नियमों के आधार पर ही हो तथा भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हो।

2.6.5 गैर-सरकारी पक्षों द्वारा इन्सैट क्षमता का उपयोग एक औपचारिक पट्टा करार पर आधारित होगा जिसे अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट तथा उस पक्ष के बीच हस्ताक्षर किया जाएगा जो तकनीकी, वित्तीय, अनुबंधीय एवं प्रबंधन शर्तों का अनुपालन करेगी।

जहां तक दूरसंचार की बात है, डी.ओ.टी. द्वारा गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं को क्षमता प्रदान करने वाला विद्यमान करार ही लागू होगा। आई.सी.सी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय इन व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन कर सकती है।

2.7 इन्सैट की अतिरिक्त क्षमता

अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट, वाणिज्यिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा पहले से निर्धारित, स्वीकार्य एवं निधि प्राप्त सरकारी जरूरतों के अनुसार, यदि प्रतिकूल प्रभाव के बिना तकनीकी रूप से संभव हुआ तो गैर-सरकारी पक्ष के अनुरोध के आधार पर उनके लिए क्षमता का निर्माण करेगा। यह अतिरिक्त क्षमता भारत या विदेश में सेवाएँ प्रदान करने हेतु होगी। इस प्रकार की क्षमता भारतीय नियमों की दृष्टि से इन्सैट क्षमता का भाग नहीं होगी, जबतक कि आई.सी.सी. विशिष्ट रूप से ऐसा घोषित न करे। तथापि, अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट विदेशी एजेंसियों को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करना भारत सरकार की नीतियों के अनुकूल सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार के किसी भी कदम के बारे में आई.सी.सी. को सूचित किया जाएगा। वाणिज्यिक तथा अन्य शर्तें अंतरिक्ष विभाग/ इन्सैट द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

अनुच्छेद-3: भारतीय उपग्रह प्रणालियों की स्थापना और प्रचालन के संबंध में मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि।

3.1 भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार भारत के लिए उपग्रह संचार-व्यवस्था नीति का कार्यढ़ाँचा इस प्रकार होगा:

“अधिकृत भारतीय प्रशासन, अन्तरिक्ष विभाग तथा अन्य संबंधित विनिमय प्राधिकारियों से परामर्श कर उपग्रह प्रणालियों एवं नेटवर्क को कुछ स्पष्ट तथा पारदर्शी मानदण्डों का अनुपालन करते हुए, भारतीय निजी पक्षों के द्वारा अथवा के लिए सूचित, घोषित, निर्देशांकित तथा पंजीकृत करेगा। सभी सरकारी एजेंसियों के उपग्रह प्रणालियों को अन्तरिक्ष विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा।”

3.2 भारतीय उपग्रहों की परिभाषा

“भारतीय उपग्रह” को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि वे उपग्रह नेटवर्क या प्रणाली के अंग हैं जिन्हें भारतीय प्रशासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) रेडियो नियमनों (आर.आर.) का अनुपालन करते हुए सूचित, निर्देशांकित, पंजीकृत तथा घोषित किया जाता है और जिनके क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय रूप से जिम्मेदार रहेगा। भारतीय उपग्रह, भारतीय अन्तरिक्ष उद्देश्यों की विस्तृत धारणा के एक उपवर्ग हैं।“

3.3 प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग

सरकार द्वारा व्यापार नियमों के निर्धारण के अनुसार, अन्तरिक्ष विभाग, उपग्रह प्रणाली के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय होगा। सभी सरकारी एजेंसियों की उपग्रह प्रणालियाँ अन्तरिक्ष विभाग द्वारा स्थापित की जाएंगी। सहयोगी भू-हिस्से की स्थापना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा की जाएगी।

3.4 आवश्यक लाइसेंस

भारतीय उपग्रह प्रणालियों को स्थापित करने के लिए तीन विभिन्न प्राधिकरणों/ लाइसेंसों की आवश्यकता होगी। वे हैं:

3.4.1 अन्तरिक्षयान नियंत्रण केन्द्र सहित भारतीय रजिस्टर्ड उपग्रह प्रणाली को प्राप्त करने तथा प्रचालित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग से प्राधिकरण लेना होगा। यह प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि प्रणाली संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अन्तरिक्ष संधि तथा अन्य संयुक्त संधियों के अनुसार प्रचालित होंगी जिनपर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है। यह प्राधिकरण सुरक्षा से संबंधित स्थितियों पर भी नियंत्रण रखेगा तथा प्रणाली सरकारी की अन्तरिक्ष नीतियों के अनुसार होगी यह सुनिश्चित करेगा।

3.4.2 भारतीय प्रशासन होने के कारण, आई.टी.यू. रेडियो नियमनों के अन्तर्गत, अन्तरिक्ष स्टेशन को प्रचालित करने के लिए संचार मंत्रालय के वायरलेस योजना और समन्वय दल (डब्ल्यू.पी.सी.) द्वारा प्राधिकरण लेना होगा।

3.4.3 प्रणाली/नेटवर्क द्वारा सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रचालन लाइसेंस लेना। जहाँ तक भारत का संदर्भ है, इस पर अनुच्छेद 1 में वर्णित इस विशेष क्षेत्र के नियमनों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, प्रसारण हेतु प्रसारण अधिनियम लागू होगा तथा संचार के लिए टेलीग्राफ अधिनियम लागू होगा। संचार के लिए संचार विभाग तथा प्रसारण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय होंगे।

3.5 लाइसेंस जारी करने हेतु जिम्मेदार प्राधिकरण

जहाँ तक उपरोक्त 3.4 के प्रथम दो प्राधिकरणों/लाइसेंसों का संबंध है एक समिति जिसमें सचिव, अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सचिव (आर.), रक्षा मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति तथा संवर्धित विभाग) भारत सरकार के स्थायी आमंत्रित के रूप में वायरलेस सलाहकार इस प्रणाली के समाशोधन हेतु एकल निकाय होगी। समिति की अध्यक्षता अन्तरिक्ष विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। समिति के सचिवालय द्वारा भारतीय उपग्रह प्रणाली (सी.ए.आई.एस.एस.) की स्थापना तथा प्रचालन हेतु प्राधिकरण अन्तरिक्ष विभाग में ही रहेगा। सी.ए.आई.एस.एस. के अनुमोदन के पश्चात उपग्रह प्रणाली की स्थापना तथा प्रचालन का

प्राधिकरण /लाइसेंस उसके सामन्य प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अन्तरिक्ष विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। अन्तरप्रणालीय तथा क्षेत्रीय समन्वयन को डब्ल्यू.पी.सी. आवश्यकतानुसार सूचित करेगा।

3.6 लाइसेंस जारी करते समय पालन किए जाने वाले मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि

निजी पक्षों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की उपग्रह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधियाँ, मानदण्ड तथा दिशानिर्देश अपनाए जाएं:

3.6.1 भारतीय उपग्रह प्रणाली को स्थापित तथा प्रचालित करने हेतु केवल भारतीय पंजीकृत कंपनियों को ही अनुमति दी जाए। किसी भारतीय उपग्रह प्रणाली/नेटवर्क को अधिसूचित, पंजीकृत तथा प्रचालित करने हेतु आवेदन भारतीय पंजीकृत कंपनी (आवेदक) की ओर से ही होना चाहिए। ऐसी कंपनी में सीधा विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एन.आर.आई./ ओ.सी.बी. इक्विटी को एफ.डी.आई. के समतुल्य ही माना जाएगा। भारतीय कंपनियों द्वारा पूँजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, लाइसेंस ग्राही कंपनी (अर्थात आवेदक) में केवल निवेशी कंपनी द्वारा सीधा विदेशी निवेश अधिकतम 74 प्रतिशत तथा एफ.डी.आई. पर विचार किया जाएगा। एफ.डी.आई. उपलब्ध कराने की यह अधिकतम सीमा तब प्रदान नहीं की जाएगी यदि कोई निवेशी कंपनी 49 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करती हैं तथा निवेशी कंपनियों का प्रबंधन भारतीय मालिकों के पास ही हो। तथापि, सी.ए.आई.एस.एस. भारतीय रजिस्टर्ड कंपनी को भारतीय उपग्रह प्रणाली स्थापित करने हेतु 100 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश के साथ लाइसेंस इस शर्त के साथ प्रदान कर सकती है कि लाइसेंस जारी करने के 5 वर्ष की अवधि के बाद उपग्रह प्रणाली की स्थापना हेतु सीधा विदेशी निवेश को 74 प्रतिशत या उससे भी कम तक लाना होगा। इसमें शामिल जटिलता तथा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र में एफ.डी.आई. को सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा कोई भी कंपनी आर.बी.आई. द्वारा स्वत: अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगी। सी.ए.आई.एस.एस. अग्रिम सेवाओं या विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशी कंपनियों की प्रणालियों/ नेटवर्क को भारतीय उपग्रह प्रणालियों/ नेटवर्क के रूप में पंजीकृत कर प्राधिकृत करने के लिए भी विचार कर सकता है।

3.6.2 आवेदक को सी.ए.आई.एस.एस. की संतुष्टि के अनुसार कार्य करना होगा, कि उनके पास अपनी व्यवसाय योजना के अंतर्गत निहित समय-पैमाने पर प्रस्तावित उपग्रह प्रणाली के अनुकूलन के लिए, निर्माण, प्रमोचित तथा प्रचालन करने हेतु आवश्यक तकनीकी, वित्तीय तथा कानूनी प्रत्यायक मौजूद हैं।

3.6.3 अधिसूचित या पंजीकृत उपग्रह प्रणाली/नेटवर्क को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप प्रचालित होंगे जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

3.6.4 उपग्रह नियंत्रण केंद्र/ केंद्रों (एस.सी.सी.), अर्थात वह सुविधा जो मुख्य तकनीकी पैरामीटर की सटीक क्रियात्मकता का मॉनीटरन करती है तथा नेटवर्क आंशिक या पूर्णतया बंद करने की क्षमता के साथ उपग्रह का नियंत्रण करती है, जो भारतीय संघ के क्षेत्र में या तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर सी.ए.आई.एस.एस. द्वारा प्राधिकृत स्थान पर स्थापित होगी।

3.6.5 उपग्रह प्रणालियाँ जिनकी एस.सी.सी. भारत के अन्य किसी क्षेत्र में स्थित है उसे अपनी एस.सी.सी. को भारत संघ के क्षेत्र के अंदर सी.ए.आई.एस.एस. द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर उचित अवधि के अंदर ही स्थानांतरित करना होगा, लेकिन लाइसेंस प्रदान होने के समय से दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एस.सी.सी. के भारत में स्थानांतरित हो जाने के बाद कोई भी एस.सी.सी. बाहर नहीं होनी चाहिए।

3.6.6 अन्य रेडियो सेवाओं के व्यवधान की स्थिति में एस.सी.सी. सुविधा पर नियामक नियंत्रण डब्ल्यू.पी.सी./एम.ओ.सी. का होगा।

3.6.7 प्रचालन करने हेतु प्राधिकरण तथा कक्षा-प्रतिबिम्बन की अधिसूचना/पंजीकरण सभी उपग्रह संचार सेवाओं के लिए किया जाएगा, जैसे:

(क) आवश्यकतानुसार - नए कक्षा-प्रतिबिम्बन हेतु
(ख) अनियोजित बैण्डों में
(ग) नियोजित बैण्डों में आई.टी.यू. द्वारा स्थापित योजनाओं के अनुसार
(घ) आबंटित कक्षीय स्लॉटों के लिए आई.टी.यू. द्वारा स्थापित योजनाओं के अनुसार
(ङ.) आवश्यकताओं का पुर्वानुमान करते हुए, जिसके लिए भारत ने पहले से ही सहयोग क्रियाविधि स्थापित कर रखी है उनके लिए आवृत्ति बैण्डों तथा कक्षीय स्लॉटों पर

3.6.8 3.6.7(क) तथा 3.6.7(ख) के लिए अन्य शर्तें पूरी की जा रही हैं, प्राधिकरण तथा अधिसूचना/समन्वय/पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विवाद की स्थिति में, सरकारी स्वामित्व प्रणाली को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दो या दो से अधिक गैर-सरकारी प्रणालियाँ एक ही कक्षा-प्रतिबिम्बन की माँग करती हैं तो प्रशासन आवेदकों से वार्तालाप करेगा और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा हल संभव न हुआ तो, प्रशासन साधारण सूचना का अग्रिम प्रकाशन (ए.पी.आई.) जारी कर सकता है तथा आई.टी.यू. के रेडियो नियामक

ए.पी. एस.4 प्रस्तुति चरण पर (परिशिष्ट 3) या बाद में समन्वयकों की प्रगति के आधार पर आवेदक के विकल्प के अनुसार निर्णय ले सकता है।

3.6.9 उपरोक्त 3.6.7(ग) तथा 3.6.7(घ) के लिए, जहाँ ये किसी विशेष सेवा (जैसे, सीधा प्रसारण उपग्रह सेवा (डी.बी.एस.)) से जुड़े हों, वहाँ सेवा के लिए केवल लाइसेंस धारक को ही आवेदक के रूप में माना जा सकता है। ऐसे मामले में सेवा प्रचालन लाइसेंस पर्याप्त नहीं है तथा लाइसेंस धारक भारतीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना एवं प्रचालन हेतु क्रियाविधि का अनुपालन के साथ-साथ उपग्रह प्रचालन लाइसेंस तथा उपयुक्त कक्षा-प्रतिबिम्बन लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा।

3.6.10 उपरोक्त 3.6.7(ड.) के लिए, अं.वि. में स्थित अपने सचिवालय के माध्यम से इन्सैट समन्वयन समिति (आई.सी.सी.), गैर-सरकारी आवेदकों के लिए कक्षा-प्रतिबिंबन उपलब्ध कराने हेतु अपनी इच्छा घोषित करेगा। इसका अनुपालन करते हुए उपरोक्त 3.6.7(क) तथा 3.6.7(ख) में निर्दिष्ट क्रियाविधि को अपनाएगा।

3.6.11 उपरोक्त सभी मामलो में, दो या अधिक आवेदकों द्वारा माँगों के विवाद की स्थिति में, जिसे तकनीकी पैरामीटरों के समायोजन द्वारा संतोषजनक ढ़ंग से हल नहीं किया जा सकता है तो उसमें उन प्रणालियों को प्राथमिका दी जाएगी जो भारत में निर्मित और/या भारत से प्रक्षेपित उपग्रहों को उपयोग करने का प्रस्ताव करती है।

3.6.12 उपग्रह प्रणालियों की स्थापना को प्राधिकृत करने तथा आवेदकों के लिए आई.टी.यू. फाइलिंग से पूर्व, अं.वि. और प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित प्रणाली अन्य मौजूद एवं नियोजित भारत सरकार की उपग्रह प्रणालियों सहित भारतीय उपग्रह प्रणालियों के अनुकूलित हो।

3.6.13 अं.वि. या प्रशासन द्वारा इन क्रियाविधियों के कार्यान्वयन में आने वाली किसी लागत की प्रतिपूर्ति आवेदक/आवेदकों से की जाएगी। ए.पी.आई की फाइलिंग तथा अनुवर्ती समन्वयन, अधिसूचना इत्यादि की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी।

3.7 पालन की जाने वाली क्रियाविधियाँ

उपग्रह प्रणाली की स्थापना हेतु प्राधिकरण प्राप्त करने तथा आई.टी.यू. निर्देशांकान प्रक्रिया को शुरू करने के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित क्रियाविधियों को पालन किया जाएगा:

3.7.1 आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी

3.7.1.1 आवेदक को भारतीय उपग्रह प्रणाली/नेटवर्क के प्रचालन हेतु निम्नलिखित सूचना देते हुए सी.ए.आई.एस.एस. (अन्तरिक्ष विभाग में स्थित सी.ए.आई.एस.एस. सचिवालय को संबोधित करते हुए) को आवेदन देना होगा:

(i) इन पर जानकारी सहित प्रस्तावित प्रणाली का तकनीकी विवरण;

(ii) वांछित सेवा, सेवा क्षेत्र;
(iii) नेटवर्क विवरण तथा विशेषता;
(iv) सभी नीतभारों और प्रणालियों की प्रकृति तथा क्षमता सहित अन्तरिक्षयान का विवरण;
(v) अन्तरिक्षयान प्रमोचक यान

3.7.1.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मुख्य उपलब्धियों के साथ परियोजना की योजना

3.7.1.3 प्रबंधन सूचना:

(i) अन्तरिक्षयान तथा प्रमोचन के चयन की कार्यप्रणाली तथा स्त्रोत;
(ii) तृतीय पक्ष के लिए दायित्व बीमा की व्यवस्था
(iii) योजना प्रबंधन तथा नियंत्रण प्रक्रिया

3.7.1.4 पहले से प्राप्त प्रचालन लाइसेंस या इसके लिए दिए गए आवेदन सहित लाइसेंसों की सूचना।

3.7.1.5 आवेदक के पास प्रस्तावित उपग्रह (उपग्रहों) के निर्माण तथा प्रक्षेपण का खर्च वहन करने की वर्तमान वित्तीय क्षमता तथा प्रणाली के प्रचालन के लिए वित्तीय स्त्रोतों के होने का साक्ष्य। आवेदक के पास निधि स्त्रोतों तथा अनुमानित आय सहित व्यवसाय की विस्तृत योजना भी उपलब्ध होनी चाहिए।

3.7.1.6 प्राथमिकता के वैकल्पित चुनावों को दर्शाती हुई कक्षा-प्रतिबिम्बन आवश्यकताएँ। क्षेत्रीय प्रणाली के साथ आवृत्ति साझा करने सहित रेडियो नियामकों एवं प्रभावों के विश्लेषण की अग्रिम प्रकाशन जानकारी (ए.पी.आई) के लिए आवश्यक आँकड़े के साथ प्रस्तावित प्रणाली के बारे में जानकारी।

3.7.2 आवेदनों का प्रक्रमण

3.7.2.1 उपरोक्त जानकारी के आधार पर सी.ए.आई.एस.एस. सचिवालय सी.ए.आई.एस.एस. के अनुमोदन पर आवेदन का प्रक्रमण करेगा। प्रस्तावों के मूल्यांकन के उद्देश्य से सी.ए.आई.एस.एस. सचिवालय तकनीकी विवरण, उपकरण विन्यास/विस्तृत विवरण, प्रस्तावित स्थानों, अन्तरिक्षयान के डिज़ाइन का विवरण इत्यादि की माँग कर सकता है। दस्तावेजों के वितरण से अनुमोदन की कार्रवाई की जा सकती है। आई.टी.यू. फाइल करने हेतु सी.ए.आई.एस.एस. द्वारा अनुमोदन के बाद कक्षा-प्रतिबिम्बन आवश्यकताओं तथा समन्वयन जानकारी प्रशासन को दी जाएगी। आई.टी.यू. की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं हेतु किसी बैठक के लिए भी वित्तीय तथा अन्य जानकारी प्रशासन को दी जाएगी। प्रशासन अर्थात संचार मंत्रालय (डब्ल्यू.पी.सी/एम.ओ.सी.) का ‘वायरलेस कार्यक्रम तथा समन्वयन दल’।

सी.ए.आई.एस.एस. के अनुमोदन पर प्रस्तावित प्रणाली के अंतर-प्रणाली समन्वयन को सफलतापूर्वक करने के आधार पर अं.वि. भी अन्तरिक्ष स्टेशन की स्थापना तथा प्रचालन हेतु प्राधिकरण जारी करेगा। प्राधिकारण एक उचित समय सीमा (प्रणाली के प्रकार के आधार पर) निर्धारित करेगा, परन्तु सेवा शुरू करने के लिए तीन वर्ष से अधिक नहीं। सी.ए.आई.एस.एस. इस सीमा पर रियायत प्रदान करने के लिए कारण दर्ज कर सकता है। अन्तरिक्ष विभाग लाइसेंस प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रमण शुल्क भी लगा सकता है।

3.7.2.2 अन्तरिक्ष विभाग भारतीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना एवं प्रचालन हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए उचित शुल्क की भी माँग कर सकता है।

3.7.2.3 उपरोक्त अन्तरिक्ष स्टेशन प्रचालन लाइसेंस, भू स्टेशनों के लिए सेवा प्रचालन लाइसेंस या आवृत्ति/कार्यस्थल सेवाओं की मंजूरी प्रदान नहीं करता है। इसे आवेदक को संबंधित भारतीय प्राधिकरण या अन्य देशों से जो भी लागू हो अलग से प्राप्त करना होगा।

3.7.2.4 ए.पी.आई. चरण के पश्चात, आवेदक को 3.7.1 के अंतर्गत बताई गई मदों तथा ए.पी.एस.4 (परिशिष्ट3) के अनुसार समन्वय आँकड़ों पर अद्यतन तथा विस्तृत जानकारी, जब भी सी.ए.आई.एस.एस. सचिवालय या प्रशासन को आवश्यक हो उपलब्ध करना होगा।

3.7.2.5 यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त 3.7.2.4 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई जानकारी आई.टी.यू. के अनुसरण तथा समन्वयन प्रक्रिया के लिए संतोषजनक पाई गई तो भारतीय प्रशासन उपग्रह प्रणाली/नेटवर्क को सूचित, समन्वयन, अधिसूचित तथा पंजीकृत करने के लिए शीघ्रता से सभी आवश्यक कदम उठाएगा। प्रशासन फाइल करने तथा अन्य समन्वयन प्रक्रमण के लिए उचित शुल्क निर्धारित करेगा।

3.7.2.6 फाइल होना तथा आई.टी.यू. समन्वयन प्रक्रिया का शुरू होना समन्वयन के सफल होने की गारंटी नहीं देता है तथा यह पूर्णतया आवेदक के जोखिम एवं खर्च पर होगा। सी.ए.आई.एस.एस. /अं.वि./प्रशासन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

3.7.3 अन्य उपग्रह प्रणाली प्रचालकों/ प्रशासनों से समन्वयन

3.7.3.1 भारतीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना के लिए सी.ए.आई.एस.एस. के अनुमोदन का अनुसरण करते हुए, प्रशासन अंतरिक्ष विभाग से परामर्श कर अंतर-प्रणाली समन्वयन की शुरूआत कर उसे जारी रखेगा।

3.7.3.2 प्रशासन समन्वयन प्रक्रमण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, रेडियो नियमन की क्रियाविधि के अनुसरण में, आवेदक द्वारा प्रशासन के समक्ष संतोषतापूर्वक प्रमाणित करने पर कि उनके पास समन्वयन करने हेतु आवश्यक क्षमता है, तब

आवेदक को आवृत्ति के समन्वयन तथा कक्षीय स्थिति के संबंध में विस्तृत तकनीकी पहलुओं पर अन्य उपग्रह प्रणाली प्रचालकों/प्रशासनों से सीधे बात करने के लिए अधिकृत कर सकता है। प्रशासन जहाँ आवश्यक होने पर किसी भी समन्वयन बैठक में शामिल हो सकता है। कोई भी किया जाने वाला समन्वयन करार अं.वि. के परामर्श से प्रशासन द्वारा संशोधित किया जाएगा।

3.7.3.3 सभी प्रक्रमण, समन्वयन तथा संबंधित लागत आवेदक से वसूल की जाएगी।

3.7.3.4 समन्वयन प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रत्राचारों की प्रतियाँ प्रशासन को भेजनी होगी।

3.7.3.5 प्राधिकरण, यदि प्रदान किया जाता है तो वह निरंतर क्रियाविधि के अनुपालन के आधार पर होगा।

3.7.4 प्रगति मॉनीटरन तथा अन्य शर्तें

3.7.4.1 प्रणाली की स्थापना की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आवेदक द्वारा सी.ए.आई.एस.एस. सचिवालय तथा प्रशासन के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी। यदि स्थापित की गई प्रणाली में कोई प्रगति नहीं होती है तो अं.वि./प्रशासन प्रणाली के लाइसेंस/अधिसूचना को, अं.वि./प्रशासन पर बिना किसी देयता के रद्द कर सकता है तथा आवेदक द्वारा भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क जब्त हो जाएगा।

3.7.4.2 अं.वि. के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अन्तरिक्षयान केवल उन्हीं कार्यों के लिए डिज़ाइन तथा निर्मित किया जाए जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है। इसमें अन्तरिक्षयान के प्रक्षेपण से पूर्व उसका निरीक्षण शामिल है। आवेदक को इसमें सहायता करनी होगी।

3.7.4.3 अं.वि. के पास एस.सी.सी. सुविधा का निरीक्षण तथा आवश्यक होने पर उसमें सुधार/ संवर्धन कराने का अधिकार है।

3.7.4.4 एस.सी.सी. के संस्थापन/प्रचालन/अनुरक्षण हेतु लगाए गए सभी विदेशी कार्मिक सरकार की सुरक्षा प्रणाली द्वारा दोषमुक्त होने चाहिए।

3.7.4.5 अन्तरिक्ष स्टेशन के शुरू होने के बाद, अं.वि. संयुक्त राष्ट्रसंघ को अन्तरिक्ष स्टेशन की स्थापना संबंधित राष्ट्रसंघ की प्रथा के अनुसार, होने की सूचना प्रदान करेगा।

3.7.4.6 स्थापना क्रियाविधि का पूर्णतया अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप आई.टी.यू. के साथ अधिसूचना निरस्त हो जाएगी और उपग्रह प्रणाली स्थापित करने का प्राधिकरण भी रद्द हो जाएगा।

3.7.4.7 भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकाल या युद्ध या घटिया विवाद या अन्य किसी जनहित के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से प्रणाली, उपकरण तथा नेटवर्क के लाइसेंस को वापस लेने का अधिकार अं.वि. के पास होगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आदेश या निर्देश लाइसेंसों पर लागू होंगे।

3.7.4.8 राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अं.वि. को इन शर्तों में संशोधन करने या नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार है।

3.7.5 फाइल का स्थानांतरण

आवेदक के अनुरोध पर, प्रशासन द्वारा इस बात की पुष्टि करने के बाद कि इससे जनता या राष्ट्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी.ए.आई.एस.एस. के अनुमोदन से फाइल या पंजीकरण का एक आवेदक/प्रचालक से दूसरे भारतीय उपग्रह प्रणाली आवेदक/प्रचालक को स्थानांतरित करने की अनुमति देगा।

अनुच्छेद-4: विदेशी उपग्रहों के उपयोग के संबंध में मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि

भारत में विदेशी उपग्रहों की सेवाओं के उपयोग करने के संबंध में सरकार का विनिर्देश है कि:

(क) अधिसूचित किए गए विशिष्ट मामलों में ही भारतीय क्षेत्र से विदेशी उपग्रहों के प्रचालन की मंजूरी दी जाएगी। भारत में पंजीकरण के लिए नियम बनाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी प्रणालियों, भारतीय पक्षों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा प्रचालित, परन्तु अन्य देशों में पंजीकृत प्रणालियों का उपयोग करते हुए विदेशी सेवाएँ प्रदान करने वाले मामले को इसमें शामिल किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय निजी प्रणालियाँ जहाँ भारत की इक्विटी या अन्य कोई हिस्सेदारी के रूप में है और जहाँ आवश्यक हो पंजीकरण या स्वामित्व वाले देश/ देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं।

(ख) भारतीय क्षेत्र से प्रचालन के लिए भारतीय तथा विदेशी दोनों उपग्रहों को अनुमति दी जा सकती है, फिर भी भारतीय उपग्रहों के उपयोग करने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) टी.वी. सहित उपग्रह प्रसारण के लिए लाइसेंस अधिकारी द्वारा संबंधित अधिनियमों के तहत, तकनीकी एवं सुरक्षा कारणों से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निषेधित किया गया है, उसके अलावा, भारतीय उपग्रह प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यदि विदेशी उपग्रहों के साथ

सेवाओं के प्रचालन हेतु लाइसेंस दे दिया गया है तो इस स्थिति में लाइसेंस अधिकारी इन सेवाओं के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण या इसे पुन: जारी करते समय लाइसेंसी द्वारा सेवा की आवश्यकतानुसार क्षमता की उपलब्धता होने पर भारतीय उपग्रह प्रणाली को चुनने का विकल्प देगा।

(घ) अन्तरिक्ष विभाग को इस बात की पुष्टि देनी होगी कि नीति के विभिन्न प्रावधान प्रस्तावित प्रसारण नियम के अनुकूल हैं।

4.1 सेवा वर्गीकरण

उपग्रह-संचार सेवाओं को मुख्य रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है-

1. अंतर्राष्ट्रीय (जैसे- सीमा-पार) संचार सेवाएँ
2. क्षेत्रीय संचार सेवाएँ

4.2 अंतर्राष्ट्रीय संचार सेवाएँ

अंतर्राष्ट्रीय संचार के मामले में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी प्रणाली की व्यवस्था जारी रहेगी। निजी क्षेत्र प्रशाखा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है तथा भारतीय इक्विटी धारक है, पात्र होगी। तथापि, जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय संचार हेतु भारतीय उपग्रह क्षमता तथा सामर्थ्य प्राप्त करेगा, अंतर्राष्ट्रीय करारों के मद्देनजर इसके उपयोग की अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रदाता लागू अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुसरण में इसके उपयोग को सक्रियता से बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय संचार सेवाओं में पी.एस.टी.एन., जी.एम.पी.सी.एस., मूल्य वर्धक सेवाएँ, कार्यक्रम हस्तांतरण इत्यादि, जहाँ बाह्य देशों में एक ओर का लिंक टर्मिनल रहेगा, जैसे- 'कॉल', विदेशी देशों से शुरू होगा या समाप्त होगा। विदेशी उपग्रहों के साथ प्रचालन के संबंध में मेरीटाइम मोबाल उपग्रह सेवा (एम.एम.एस.एस.) तथा विमानिकी मोबाइल उपग्रह सेवा (ए.एम.एस.एस.) को अंतर्राष्ट्रीय संचार के रूप में माना जाएगा, यद्यपि इसमें क्षेत्रीय यातायात भी शामिल हो।

4.3 क्षेत्रीय संचार सेवाओं का वर्गीकरण

विद्यमान क्षेत्रीय उपग्रह संचार सेवाओं के मामले में, संचार का अभिसरण, प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोगों को निम्न प्रकार से श्रेणीकृत किया जाएगा:

4.3.1 प्रसारण (चलचित्र (टी.वी.) और सम्बद्ध ध्वनि; तथा श्रव्य (रेडियो))

(क) नि:शुल्क आकाशवाणी उपग्रह प्रसारण – डिजिटल या एनालॉग

(ख) प्रसारण अर्थात ग्राहक द्वारा अभिग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार ग्राही नियत, सुवाह्य अथवा चलित हो सकता है। ऑडियो-विडियो दूरसंचार, आँकड़ा स्थानांतरण (एकतरफा अथवा दोतरफा) एवं कम्प्यूटर नेटवर्क इस श्रेणी के भाग नहीं हैं।

4.3.2 सार्वजनिक स्विच आधारित टेलिफोन नेटवर्क (क्षेत्रीय)।
इसके दो उप-भाग है अर्थात, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त नेटवर्क (वर्तमान में क्रमश: डी.ओ.टी. तथा आधारभूत दूरसंचार प्रचालन)। किसी भी प्रकार की स्विच आधारित सेवाएं आई.एस.डी.एन. सहित शामिल हैं।

4.3.3 मूल्य वर्धक सेवाएँ (क्षेत्रीय)।
इसमें सीमित प्रयोक्ता समूह हेतु वीसैट, साझा-हब द्वारा निजी वीसैट सेवा, सेल्यूलर तथा पेजिंग सेवा अंतर-संबंध, विडियो दूरसंचार, ऑडियो/विडियो कार्यक्रम हस्तांतरण, आँकड़ा प्रसारण, कम्प्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएँ, बहु-मीडिया संचार, इत्यादि।

4.3.4 भू मोबाइल उपग्रह सेवाएँ (क्षेत्रीय तथा समुद्र में):
इसमें गतिमान वाहनों, हस्त-चलित निजी टर्मिनलों तथा सुवाह्य छोटे टर्मिनलों को तथा उनसे संचार शामिल हैं।

4.4 क्षेत्रीय उपग्रह सेवाओं हेतु मानदण्ड, दिशानिर्देश तथा क्रियाविधि

उपग्रह-संचार नीति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त में से किन्ही सेवाओं हेतु विदेशी उपग्रह के उपयोग के लिए, प्रशासन मंत्रालय/ विभाग निम्नलिखित मानदण्ड/क्रियाविधियाँ अपनाएगा। यह उन क्रियाविधियों/मानदण्डों के अतिरिक्त होगा जिसे प्रशासन मंत्रालय/विभाग सेवा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया हेतु अपनाता है।

4.4.1 प्रशासन मंत्रालय, विदेशी उपग्रहों के साथ प्रचालन हेतु प्राधिकृत करने से पूर्व, अन्तरिक्ष विभाग, जो इस प्रकार के मामलों ''अन्तरिक्ष आधारित प्रणालियों की स्थापना, खरीद तथा उपयोग'' हेतु प्रशासन विभाग है, से परामर्श करेगा।

4.4.2 उपरोक्त 4.4.1 मद के अंतर्गत सूचित की गई सेवाओं हेतु प्रसारण बिल में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि लागू होगी। 4.4.2 से 4.4.4 मद के अंतर्गत सूचित की गई सेवाओं हेतु संचार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट क्रियाविधियाँ लागू होंगी।

4.4.3 4.4.2 से 4.4.4 मद के अंतर्गत सूचित की गई सेवाओं हेतु, जहाँ भारतीय उपग्रहों में क्षमता तथा सामर्थ्य है वहाँ केवल भारतीय उपग्रहों पर ही सेवा हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। क्षमता या सामर्थ्य की कमी के मामले में, विदेशी उपग्रहों को प्रचालन के लिए अधिकृत किया जाएगा, अनुमति या लाइसेंस में यह वर्णित हो कि जैसे ही क्षमता तथा सामर्थ्य उपलब्ध होगी प्रचालनों को भारतीय उपग्रहों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक अनुमति केवल सीमित समय के लिए ही दी जाएगी तथा नवीनीकरण से पूर्व इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

4.4.4 विदेशी उपग्रह से प्रचालन की सेवा हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की जाँच के दौरान, आवश्यक मुद्दों को बिंदुवार 'एंड-टू-एंड' विचार करना होगा न कि केवल विक्रेता या विक्रेताओं इत्यादि द्वारा बताए गए प्रचालन की बैंड आवृत्ति, उपकरण उपलब्धता के आधार पर। प्रस्ताव की जाँच यह पता करने के लिए की

जानी चाहिए कि क्या भारतीय उपग्रह प्रणाली को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है।

4.4.5 उपरोक्त 4.5.3 के अंतर्गत विदेशी उपग्रह प्रचालनों को अधिकृत करते समय, (क) अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किया है/पक्ष है और (ख) अन्य प्रणालियाँ जहाँ इक्विटी या सहयोग के रूप में अत्यधिक भारतीय हिस्सेदारी हो, प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4.4.6 प्रचालन लाइसेंस देने की प्रक्रिया में इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि प्रणाली आवृत्ति तथा कक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन के लिए है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सुरक्षा मामलों को भी ध्यान में रखा गया है।

****